संख्या-16/2018/630(2)/78-2-2018-21आई.टी./2005टीसी-2

प्रेषक,

हरी राम
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उत्तर प्रदेश ई'गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत् यू.पी.स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान व अपरिहार्य व्ययों के वहन हेतु धनराशि रू0 1213.00 लाख की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित् सीईजी के पत्र संख्या-CeG/P/18/BSNL/II/132, दिनांक 05-06-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्गत वित्तीय स्वीक़ृति विषयक शासनादेश संख्या-630/78-2-2018-21आई0टी0/2005टीसी-2 दिनांक 28 सितम्बर, 2018 को निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में यू.पी.स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान व अपरिहार्य व्ययों के वहन हेतु राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 2430.00 लाख में से धनराशि रू0 1213.00 लाख (रूपये बारह करोड़ तेरह लाख मात्र) की निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त का भुगतान संबधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध निदेशक उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 द्वारा धनराशि का आहरण कर उसे राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) सीईजी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष शेष रू0 328.43 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग यू.पी.स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान व अपरिहार्य व्ययों का वहन योजना अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-11-उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान-42अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग के अ0शा0 प0 संख्या-ई-6/702 /दस-2017 दिनांक 19-9-2018 में प्राप्त उनकी सहमती से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,
हरी राम
उप सचिव

संख्या-16/2018/630(3)/78-2-2018 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
7- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
10-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हरी राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in